

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****धारा 482 के अंतर्गत प्रार्थनापत्र संख्या – 2630/2026**

पंकज शुक्ला उर्फ मुनुआ एवं एक अन्य

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं एक अन्य

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – पुनीत कुमार शुक्ला, प्रियंका सिंहविरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता, सुशील कुमार शर्मा
-----**न्यायालय संख्या – 16****माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

श्री सुशील कुमार शर्मा, अधिवक्ता ने विरोधी पक्षकार संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल कर उपस्थिति दर्ज कराई है जिसे अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता और विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र द्वारा प्रार्थीगण ने आपराधिक वाद संख्या 2476/ 2017 'राज्य बनाम धीरज एवं अन्य', अपराध संख्या 274/ 2014 अंतर्गत धारा 386 भारतीय दंड संहिता [अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(5)], जो थाना-मिश्रिख, जिला-सीतापुर में दर्ज है, के आक्षेपित समन आदेश और दिनांक 31-01-2015 के आरोप पत्र को रद्द करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि कुछ गलतफहमी के कारण यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और तत्पश्चात पक्षकारों ने एक साथ बैठकर समझौता विलेख निष्पादित कर अपने विवादों को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सुलझा लिया है और उसे दिनांक 04.11.2025 को लिखित रूप में तैयार किया गया था। अपने तर्कों को विस्तार देते हुए उन्होंने यह कहा कि अब पक्षकारों ने समझौता विलेख निष्पादित कर अपने सभी विवादों को समाप्त कर दिया है और इस प्रकार वर्तमान प्रार्थी के विरुद्ध अग्रिम आपराधिक कार्यवाही एक व्यर्थ प्रक्रिया होगी और प्रार्थी के उत्पीड़न के समान होगी।

अपने तर्कों को विस्तार देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 28.11.2025 के आदेश द्वारा धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता/ 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रार्थनापत्र संख्या 10111/2025 में प्रकरण को समझौता सत्यापन के लिए संदर्भित किया था और उक्त आदेश के अनुपालन में, दोनों पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं और दिनांक 04.11.2022 के समझौता विलेख को समस्त संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में सत्यापित किया गया है और सत्यापन आदेश 20.12.2025 को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, सीतापुर द्वारा पारित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अब पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है, अतः आपराधिक वाद संख्या 2476 वर्ष 2017 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम धीरज और अन्य) की कार्यवाही, जो अपराध संख्या 274 वर्ष 2014, भारतीय दंड संहिता की धारा 386 के अंतर्गत [अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 (5) के अंतर्गत] थाना-मिश्रिख, जिला-सीतापुर से उत्पन्न हुई है, उसे रद्द किया जा सकता है।

दूसरी ओर, विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रार्थीगण के पक्ष का समर्थन किया है और यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों ने समझौता विलेख निष्पादित कर लिया है और अब पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है, अतः प्रार्थी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता को उपर्युक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के उक्त तर्कों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि पक्षकारों के बीच दिनांक 04.11.2025 को समझौता किया गया है और उक्त समझौते को दिनांक 20.12.2025 को सत्यापित किया गया है और, अब, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनानुसार, वे उपर्युक्त अपराध संख्या 274 वर्ष 2014 से उत्पन्न वाद अर्थात् 'राज्य बनाम धीरज एवं अन्य' में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त के दृष्टिगत, चूंकि प्रार्थीगण और विरोधी पक्षकारों ने दिनांक 04.11.2025 को समझौता कर लिया है और कोई शिकायत शेष नहीं है, अतः उक्त आपराधिक वाद में अग्रिम दायित्व कार्यवाही उच्चतम न्यायालय द्वारा बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2003) 4 एससीसी 675, निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो [2008) 9 एससीसी 677], मनोज शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य (2008) 16 एससीसी 1, ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303 और नरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466 में घोषित निर्णयों के आलोक में रद्द किए जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप, थाना-मिश्रिख, जिला-सीतापुर में दर्ज अपराध संख्या 274 वर्ष 2014 अंतर्गत धारा 386 भारतीय दंड संहिता [अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 (5) के अंतर्गत] से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 2476 वर्ष 2017 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम धीरज और अन्य) की कार्यवाही को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

समझौता विलेख इस आदेश का भाग होगा।

परिणाम प्रभावी होंगे।

तदनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

30 मार्च 2026

एकेएस